

जनसुनवाई हेतु
पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन
का

कार्यकारणी संक्षेप

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्प्रिट प्लांट,
2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट
और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राट जिन प्लांट
के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट
और बॉटलिंग प्लांट

स्थित
प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म,
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

आवेदक

मैसर्स हिमालय वाइन कम्पनी प्रा० लि०

रजिस्टर्ड ऑफिस: डी.डी. 29, नेहरू एन्क्लेव,
कालकाजी, नई दिल्ली 110019

फोन नं. 011 - 46520015

E-Mail: himalaya.wineco@gmail.com

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्पिरिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट स्थित प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यकारिणी संक्षेप

कार्यकारिणी संक्षेप

1.0 परियोजना का विवरण

1.1 परिचय

मैसर्स हिमालय वाइन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्पिरिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ने का रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना स्थल आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर में स्थित है और भूमि पहले से ही कम्पनी के स्वामित्व में है।

ईआईए. अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 और 13 जून 2019 के संशोधन के अनुसार उपरोक्त परियोजना श्रेणी 'बी' परियोजना, गतिविधि 5 (जी) डिस्टलरी परियोजना [गैर-शीरा आधारित डिस्टलरी < 200 किलोलीटर प्रतिदिन} के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त परियोजना श्रेणी "बी" अन्तर्गत आती है, लेकिन उत्तराखण्ड में एस.ई.आई.ए.ए. (SEIAA) और एस.ई.ए.सी. (SEAC) की अनुपस्थिति के कारण इस परियोजना को श्रेणी 'ए' के रूप में माना गया और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा टी.ओ.आर. पत्र जारी किया गया।

टी.ओ.आर. के लिए आवेदन 22 जनवरी, 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मानक टी.ओ.आर. पत्र संख्या J-11011/19/2022-I(A)II(I) दिनांक 01 फरवरी, 2022 को ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने लिए को जारी किया गया।

1.2 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
अ.	परियोजना की प्रकृति	प्रस्तावित माल्ट स्पिरिट प्लांट, गन्ना रस आधारित रम प्लांट और क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट
	परियोजना का आकार	माल्ट स्पिरिट प्लांट 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन, गन्ना रस आधारित रम प्लांट 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन और क्राफ्ट जिन प्लांट 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन
ब.	स्थान का विवरण	
1.	प्लॉट नं.	प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म
2.	तहसील	काशीपुर
3.	जिला	उधमसिंह नगर
4.	राज्य	उत्तराखण्ड
स.	संयंत्र स्थल के भौगोलिक निर्देशाक	
1.	अक्षांश	29°13'37.35" उत्तर to 29°13'40.97" उत्तर
2.	देशांतर	79°01'37.96" पूर्व to 79°01'41.28" पूर्व
3.	टोपोशीट संख्या	53O/3, 53O/4, 53K/15 & 53K/16
द.	क्षेत्र विवरण	
1.	कुल संयंत्र क्षेत्र	0.8533 हैक्टेयर (8533 वर्गमीटर)
2.	हरित पटिटका क्षेत्र	परियोजना क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (0.281 हैक्टेयर) क्षेत्र हरित परिट्टत/पौधारोपण के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा।

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्पिरिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट स्थित प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यकारिणी संक्षेप

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
य.	पर्यावरणीय स्थिति (परियोजना क्षेत्र से लगभग दूरी एवं दिशा)	
1.	निकटतम कस्बा / शहर	काशीपुर (6.0 किमी पश्चिम पश्चिम दिशा में)
2.	निकटतम राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग	एन.एच. 309 (एन.एच. 121) (4 किमी उत्तर पश्चिम दिशा में) एन.एच. 734 (एन.एच. 74) (6.5 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में)
3.	निकटतम रेलवे स्टेशन	काशीपुर रेलवे स्टेशन (6.5 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में)
4.	निकटतम हवाई अड्डा	पंतनगर हवाई अड्डा (49 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में)
5.	राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर/हाथी रिवर्ज, वन्यजीव गलियारे आदि 10 कि.मी. त्रिज्या के दायरे में।	कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर/हाथी रिवर्ज, वन्यजीव गलियारे आदि 10 कि.मी. त्रिज्या के दायरे में नहीं हैं।
6.	आरक्षित वन (आर.एफ.) एवं संरक्षित वन (पी.एफ.)	जुरका आर.एफ. (3.5 किमी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में) मनरूर फिरोजपुर (हल्दुआ) आर.एफ. (5.0 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में) अम्पोखरा आर.एफ. (6.0 किमी उत्तर दिशा में) जोगीपुरा आर.एफ. (5.0 किमी पूर्व दिशा में) गुलजारपुर आर.एफ. (5.5 किमी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में) अम्पानी आर.एफ. (8.5 किमी उत्तर पूर्व दिशा में) सेहोनाथपुर दक्षिण आर.एफ. (10 किमी उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में)
7.	जल स्त्रौत (10 कि.मी. त्रिज्या में)	बहल्ला नदी (2.0 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में) महादेव नहर (3.0 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में) द्रोण सागर नहर (4.5 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में) देबका नदी (5.0 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में) बूढ़ी कोसी (5.0 किमी पूर्व उत्तर में) कोसी नदी (5.5 किमी पूर्व दिशा में) तुमरिया बहल्ला नहर (6.5 किमी उत्तर दिशा में) ठेला (7.5 किमी उत्तर पश्चिम दिशा में) दुर्गापुर डिस्ट्रीब्यूटरी (8.0 किमी पश्चिम दिशा में) करनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी (7.5 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में) नारायणपुर डिस्ट्रीब्यूटरी (9.5 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में)
8.	भूकंपीय क्षेत्र	भूकंपीय क्षेत्र – चतुर्थ आई.एस. के अनुसार : 1893 (भाग-1) : 2002
र.	लागत विवरण	
1.	परियोजना की कुल लागत	47.7 करोड़ रुपए
2.	पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए लागत	कुल लागत : 3.0 करोड़ रुपए आवर्ती लागत : 0.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
ल.	कार्य दिवसों की संख्या	350 दिन प्रतिवर्ष
व.	उत्पाद मिश्रण	माल्ट स्पिरिट, रम, जिन और फल आधारित डिस्टिल्ड उत्पाद

स्त्रौत: साइट भ्रमण एवं प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट

1.3 स्थान का मानचित्र

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्प्रिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट
स्थित प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उद्धमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यकारिणी संक्षेप



चित्र संख्या 1 स्थान का मानचित्र

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्पिरिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट स्थित प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यकारिणी संक्षेप

1.4 परियोजना के लिए आवश्यकताएँ

1.4.1 कच्चे माल की आवश्यकता

माल्ट स्पिरिट उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल जौ (माल्ट) होगा। क्राफ्ट रम गन्ना और क्राफ्ट जिन ईएनए (एकट्रा न्यूट्रल एल्कोहल व अनाज आधारित) से उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में, सभी कच्चे माल आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं। प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा, स्त्रोत का विवरण एवं परिवहन प्रणाली का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1

कच्चे माल और रसायनों की आवश्यकता

क्र. सं.	कच्चे माल का नाम	कुल आवश्यकता	संग्रहण सुविधा	स्त्रोत एवं यातायात प्रणाली
1.	जौ	4 टन प्रतिदिन (टीपीडी)	स्टील टैंक	जौ/माल्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा सड़क मार्ग से
2.	गन्ना	30 टीपीडी	10 टन गन्ना गोदाम	गन्ना निकटतम फार्म से सड़क मार्ग से
3.	एकट्रा न्यूट्रल एल्कोहल	60 बीएल / दिन	25 किलोलीटर स्टील टैंकों में	अनाज आधारित ईएनए निकटतम डिस्टलरी
3.	रसायन			
	सी.आई.पी. रसायन	4 किलो/दिन	60 किलो गोदाम में संग्रहित	रसायन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सड़क मार्ग से
	कॉस्टिक सोडा	4 किलो/दिन	60 किलो स्टील टैंकों/गोदाम में संग्रहित	निकटतम बाजार द्वारा सड़क मार्ग से
	एंजाइम	6 लीटर/दिन	100 लीटर गोदाम में संग्रहित	
	यीस्ट	40 किलो/दिन	500 किलो गोदाम में संग्रहित	

स्त्रोत: प्री-फिजीबिलीटी रिपोर्ट

1.4.2 ईंधन की आवश्यकता

प्रस्तावित बॉयलर 4 टीपीएच (2×2 टीपीएच) के लिए बायोमास का उपयोग किया जाएगा। ईंधन आवश्यकताओं के बारे में विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2
ईंधन की आवश्यकताएँ

क्र. सं.	माल का नाम	आवश्यकता (टीपीडी)	माल का स्त्रोत
1.	बायोमास	25	स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से सड़क मार्ग द्वारा

स्त्रोत: प्री-फिजीबिलीटी रिपोर्ट

1.4.3 अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ

परियोजना के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:

तालिका 3
परियोजना के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ

क्र. सं.	विवरण	आवश्यकता	स्त्रोत
1.	ताजा जल (किलोलीटर प्रतिदिन)	64	भूजल
2.	बिजली (मेगावॉट)	0.75	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	श्रमशक्ति (व्यवित)	70	अकुशल/अर्द्ध कुशल – स्थानीय क्षेत्र कुशल – बाहरी/स्थानीय क्षेत्र

स्त्रोत: प्री-फिजीबिलीटी रिपोर्ट

1.5 प्रक्रिया विवरण

डिस्टलरी संयंत्र प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

1. माल्ट स्पिरिट प्लांट

- जौ मालिंग
- माल्ट भण्डारण, सफाई एवं संप्रेषण और माल्ट मिलिंग सिस्टम
- मैशिंग सिस्टम
- लौटर ट्यून सिस्टम (वॉट सेपरेशन के लिए), वोर्ट कूलिंग और प्रोसेस वॉटर सिस्टम
- ब्रूइंग / किण्वन वॉश स्टील्स स्पिरिट स्टील्स
- माल्ट आसवन
- स्पिरिट रिसीवर और एफ्लुएंट रिसीवर

2. जिन प्लांट

- पायलट किण्वन प्रणाली
- मैक्रेशन
- क्राफ्ट जिन डिस्टिलेशन
- स्पिरिट रिसीवर और एफ्लुएंट रिसीवर, रेस्टिंग टैंक आदि।

3. गन्ना रस आधारित रम प्लांट

- गन्ना पेराई एवं मिलिंग
- किण्वन
- परिपक्कवता (Maturation)
- स्पिरिट रिसीवर और एफ्लुएंट रिसीवर

2.0 पर्यावरण का विवरण

2.1 परिणामों की प्रस्तुति (हवा, पानी, शोर और मिट्टी)

अध्ययन क्षेत्र का पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन सर्द ऋतु (दिसम्बर, 2021 से फरवरी, 2022) के दौरान किया गया। सभी 8 स्थानों पर व्यापक वायु गुणवत्ता जॉच द्वारा PM_{10} और $PM_{2.5}$ की सांद्रता 46.3 से 87.4 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर एवं 25.5 से 52.1 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के बीच पाई गई है। SO_2 की सांद्रता 5.62 से 18.2 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर और NOx की सांद्रता 10.68 से 32.6 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के बीच पाई गई है।

अध्ययन क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार व्यापक ध्वनि के स्तर का मापन दिन के समय में 51.7 से 58.6 Leq dB (l) और रात के समय 41.2 से 46.9 Leq dB (l) मापी गई।

8 स्थानों के लिए भूजल का विश्लेषण किया गया। भूजल के नमूनों का पी.एच. 7.06 से 7.56 के बीच पाया गया। जो अनुज्ञेय सीमा में भीतर है। कुल घुलित ठोस 218 से 449 मिलीग्राम प्रतिलीटर के बीच होना समृद्ध खनिज पोषक तत्वों को दर्शाता है। नमूनों का अवलोकन करने से कुल कठोरता 190 से 326.7 मिलीग्राम प्रतिलीटर और कुल क्षारीता 185 से 351.5 मिलीग्राम प्रतिलीटर का समर्थन करता है।

मिट्टी की निगरानी 6 स्थानों पर की गई और विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि पी.एच. 7.26 से 7.72 तक है, जो कृषि मिट्टी के लिए हल्की क्षारीय प्रकृति की है। सभी भूमि उपयोग में मिट्टी की बनावट सिल्टी लोम एवं सिल्टी क्ले है। उपलब्ध आर्गेनिक पदार्थ (0.64 प्रतिशत से 1.22 प्रतिशत) मध्यम, आर्गेनिक कार्बनिक स्तर (0.37 प्रतिशत से 0.71 प्रतिशत) उच्च, उपलब्ध पोटेशियम (243.43 किग्रा/हेक्टेयर से 318-23 किग्रा/हेक्टेयर) मध्यम, परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध

प्रस्तावित 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन माल्ट स्प्रिट प्लांट, 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन गन्ना रस आधारित रम प्लांट और 2.0 किलोलीटर प्रतिदिन क्राफ्ट जिन प्लांट के साथ किण्वन के लिए पायलट प्लांट और बॉटलिंग प्लांट स्थित प्लॉट नं. 2 ए, सेक्टर 4, आईआईई-एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यकारिणी संक्षेप

पोटेशियम उच्च है, उपलब्ध नाइट्रोजन (192.94 किग्रा/हैक्टेयर से 258.06 किग्रा/हैक्टेयर) मध्यम, उपलब्ध फास्फोरस (61.93 किग्रा/हैक्टेयर से 79.97 किग्रा/हैक्टेयर) उच्च है। यह इंगित करता है कि भिट्टी की उर्वरकता मध्यम से उच्च है। परियोजना स्थल पर वृक्षारोपण और हरित पट्टिका विकास के दौरान एनपीके उर्वरक की आवश्यकता नहीं होगी। औसत चालकता मान (0.30 से 0.52 mS/cm) जो सभी स्थानों में औसत है।

2.2 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

ई.सी./सी.टी.ई./सी.टी.ओ. की शर्तों के अनुसार विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के लिए पर्यावरण निगरानी अनुसूची/आवृत्ति किया जाएगा। जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका-4
पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

क्रं. सं.	विवरण	निगरानी की आवृत्ति	
1.	वायु गुणवत्ता विश्लेषण	ई.सी. या सी.टी.ओ. की शर्तों अनुसार	संयंत्र क्षेत्र के भीतर और बाहर कम से कम 4 स्थानों पर (संयंत्र क्षेत्र के बाहर 1 और 120° कोण पर 3) ऊपर व नीचे की दिशाओं को शामिल करते हुए।
2.	चिमनी विश्लेषण	निरन्तर विश्लेषण (ऑनलाईन)	संयंत्र स्थल (बॉयलर चिमनी)
3.	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रदर्शन गारन्टी टेस्ट	वार्षिक	सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
4.	फ्यूजिटीव उत्सर्जन	ई.सी. या सी.टी.ओ. की शर्तों अनुसार	संयंत्र स्थल के अन्दर
5.	ध्वनि स्तर की निगरानी	ई.सी. या सी.टी.ओ. की शर्तों अनुसार	संयंत्र स्थल परिधि और आसपास
6.	भूजल गुणवत्ता	वर्ष में 2 बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद)	संयंत्र स्थल के अन्दर और बाहर
7.	एफ्लुएन्ट विश्लेषण	दैनिक (स्वयं की प्रयोगशाला)	ईटीपी/एसटीपी आउटलेट
8.	मृदा गुणवत्ता	वार्षिक	संयंत्र स्थल के अन्दर और बाहर
9.	कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच	वार्षिक	निकटतम अस्पताल/डिस्पेन्सरी/साईट पर

3.0 परियोजना लाभ

परियोजना के परिणामस्वरूप क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिसमें सहायक विकास और बुनियादी ढाँचे शामिल हैं। सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास चिकित्सा प्रावधानों के रूप में होगा, स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाएगा, आसपास के ग्रामीणों को शिक्षा की सुविधा और हिमालय वाइन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। राज्य को करों के रूप में राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय समुदाय के लिए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यावरण को मुख्य रूप से संरक्षित किया जाएगा, जबकि औद्योगिक संचालन सर्वोत्तम शमन उपायों को लागू करने के साथ चल रहे हैं।

4.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरण प्रबंधन योजना नीचे दिया गया है।

विवरण	विस्तार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ► ईंधन के दहन के कारण होने वाले कण और गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित बॉयलर (2x2 टीपीएच) के साथ पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी के साथ बैग फिल्टर स्थापित किया जाएगा। ► सी.पी.सी.बी. दिशानिर्देशों के अनुसार डी.जी. सेटों की पर्याप्त चिमनी की ऊँचाई रखी जाएगी। ► फ्यूजिटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए संयंत्र के भीतर सड़कों को पक्का किया

	<ul style="list-style-type: none"> जाएगा। ► संयंत्र क्षेत्र में पर्याप्त हरित पटिका विकसित की जाएगी। ► ऑनलाइन विमनी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ► प्रस्तावित परियोजना के संचालन शुरू होने के बाद सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर परिवेशी वायु गुणवत्ता की समग्र निगरानी और रखरखाव किया जाएगा।
जल गुणवत्ता प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ► उत्पादन सुविधाएँ “शून्य प्रवाह निर्वहन” मानदंप्डों को प्राप्त करने के आधार पर तैयार की गई है। ► माल्ट स्पिरिट प्लांट/क्राफ्ट रम प्लांट/पायलट किण्वन प्लांट आदि से निकलने वाले रंगीन एफलुएन्ट अर्थात् स्पेन्ट वॉश और वाशिंग को ठोस में एकत्रित कर वाष्पीकृत किया जाएगा और उसके बाद स्लग ड्राईंग बैड में सुखाया जाएगा। ► एफलुएन्ट अर्थात् प्रोसेस कन्डेनसेट, स्पेन्ट लीज और वाशिंग आदि को सी.पी.यू. (150 केएलपीडी) में उपचारित किया जाएगा और उपचारित पानी को पुनःचक्रित करके प्रोसेस प्लांट में लाया जाएगा। ► वेट केक 4 टीपीडी (DWGS) का उपयोग मवेशी, मुर्गी और मछली खाद्य सामग्री के रूप में काम में लिया जाएगा। ► गन्ना रस और माल्ट स्पेन्ट वॉश (3 टीपीडी) से निकले ठोस को जैविक खाद के रूप में बेचा जाएगा। ► घरेलु गतिविधियों से निकलने वाले सीवेज को प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (5 केएलपीडी) में उपचारित किया जाएगा। ► संयंत्र परिसर के भीतर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा।
ध्वनि प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ► उच्च ध्वनि स्तर के समर्पक में आने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ईयर प्लग एवं ईयर मफ्स प्रदान किये जाएंगे। ► नियमित अंतराल में मशीनों का उचित रखरखाव ऑयलिंग और ग्रीसिंग ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए किया जाएगा। ► संयंत्र परिसर के अन्दर और संयंत्र सीमा के चारों हरित पटिका विकसित और अनुरक्षित की जाएगी। ► उच्च ध्वनि स्तर क्षेत्र को पता लगाने के लिए ध्वनि स्तर की नियमित निगरानी संयंत्र क्षेत्र के अन्दर और चारों ओर की जाएगी और सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे। ► अनावश्यक शोर से बचने के लिए ढिले नट/बोल्ट/जोड़ों का पता लगाने के लिए प्रक्रिया क्षेत्र की नियमित ऑडिटिंग की जाएगी।
ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ► संचालन से ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर डी.डी.जी.एस. (4 टीपीडी) के रूप में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो आदर्श रूप से पशु खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा। ► ईटीपी स्लज को खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। ► प्रस्तावित बॉयलर से उत्पन्न फलाई ऐशा (4 टीपीडी) को ईट/सीमेन्ट निर्माताओं को दिया जाएगा। ► संयंत्र मशीनरी/गियर बॉक्स में उपयोग किए हुए ऑयल और ग्रीस (0.2 किलोलीटर/वर्ष) खतरनाक अपशिष्ट सी.पी.सी.बी. अधिकृत रिसाइक्लर्स को बेचा जाएगा।
हरित पटिका का विकास और वृक्षारोपण	<ul style="list-style-type: none"> ► कुल परियोजना क्षेत्र 8533 वर्गमीटर के 2815 वर्गमीटर अर्थात् 33 प्रतिशत क्षेत्र को हरित पटिका और वृक्षारोपण के तहत विकसित किया जाएगा। ► डी.एफ.ओ. के परामर्श से स्थानीय प्रजातियों के पौधों को लगाया जाएगा। ► वृक्षारोपण सी.पी.सी.बी. मानकों के अनुसार किया जाएगा। ► सड़क और संयंत्र की सीमा के साथ हरित पटिका का विकास ध्वनि स्तर का कम करेगा, धूल को कम करेगा और आसपास के वातावरण में सुधार करेगा। ► हरित पटिका विकास और वृक्षारोपण प्रस्तावित परियोजना की निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ शुरू किया जाएगा।
गंध प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ► संयंत्र परिधि के चारों ओर पर्याप्त हरित पटिका को बनाए रखा जाएगा। ► बेहतर हाउसकीपिंग के साथ सभी किण्वन उपकरणों को नियमित रूप से भाप देकर अच्छी स्वच्छता की स्थिति बनाए रखी जाएगी। ► लंबे समय तक उत्पाद/उत्पादों का भण्डारण नहीं किया जाएगा एवं जीवाणु संक्रमण

	<ul style="list-style-type: none"> ► नियंत्रित करने के लिए बॉयो-साइडस का उचित उपयोग किया जाएगा। ► सड़ने वाले सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति से बचने के लिए नालियों में नियमित रूप से कीटाणुनाशकों का उपयोग किया जाएगा।
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ► सभी कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम को नियमित अभ्यास के रूप में लिया जाएगा और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ► उचित भण्डारण और हैण्डलिंग सावधानियाँ बरती जाएगी। भण्डारण क्षेत्र को ठंडा, सूखा, अच्छी तरह हवादार और गर्मी, आग या ऑक्सीडाइजर के स्त्रोत से दूर रखा जाएगा। ► व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। पी.पी.ई. के उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामग्री हैण्डलिंग की विशेषताओं और सुरक्षा सावधानियों की व्यवस्था की जाएगी। ► अग्नि सुरक्षा उपायों को फैक्ट्री परिसर के भीतर अपनाया जाएगा। सभी अग्निशमन साधन जैसे पानी, सूखा रसायन, CO₂, रेत, डोलोमाईट, फोम आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा जाएगा। ► प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया की जांच के लिए समय समय पर कर्मचारियों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ► सुरक्षा सावधानियों के लिए बैनर, बोर्ड इत्यादि परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे।

5.0

निष्कर्ष

प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि आसपास के गाँवों में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कें, पेयजल की उपलब्धता आदि में सुधार किया जाएगा। इस क्षेत्र पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न प्रदूषकों को सीमाओं में बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय अपनाए जाएंगे। पर्यावरण के सभी घटकों की नियमित निगरानी की जाएगी। कम्पनी द्वारा उठाए गए सामाजिक कल्याण के उपायों से आसपास के गाँवों का विकास होगा। क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका विकास को प्रभावी प्रदूषण शमन तकनीक के साथ साथ प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाएगा।

